

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 43

भारतीय औषध पद्धति तथा होम्योपैथी विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट, 2001-2002			संशोधित, 2001-2002			बजट, 2002-2003			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	113.00	45.56	158.56	85.49	44.84	130.33	142.49	50.86	193.35	
पूंजी	7.00	...	7.00	4.51	...	4.51	7.51	...	7.51	
जोड़	120.00	45.56	165.56	90.00	44.84	134.84	150.00	50.86	200.86	
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	3.25	0.40	3.65	3.41	0.37	3.78	3.50	0.44	3.94
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य										
भारतीय औषध पद्धति										
तथा होम्योपैथी										
2. आयुर्वेद	2210	12.96	28.05	41.01	12.96	27.75	40.71	15.81	30.70	46.51
3. होम्योपैथी	2210	8.27	6.07	14.34	8.23	5.95	14.18	10.21	7.92	18.13
4. यूनानी	2210	10.84	7.16	18.00	8.84	7.15	15.99	10.50	7.80	18.30
5. योग और प्राकृतिक चिकित्सा	2210	5.99	1.86	7.85	3.83	1.91	5.74	7.60	2.08	9.68
6. उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम										
के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	6.00	...	6.00	4.50	...	4.50	7.50	...	7.50
	4552	6.00	...	6.00	4.50	...	4.50	7.50	...	7.50
जोड़	12.00	...	12.00	9.00	...	9.00	15.00	...	15.00	
7. अन्य	2210	47.19	2.02	49.21	33.72	1.71	35.43	50.37	1.92	52.29
	3601	18.50	...	18.50	10.00	...	10.00	37.00	...	37.00
जोड़	65.69	2.02	67.71	43.72	1.71	45.43	87.37	1.92	89.29	
जोड़-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	115.75	45.16	160.91	86.58	44.47	131.05	146.49	50.42	196.91	
8. सरकारी उद्यमों में निवेश-										
आई.एम.पी.सी. लि.	4210	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
कुल जोड़	120.00	45.56	165.56	90.00	44.84	134.84	150.00	50.86	200.86	
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. इंडियन मेडीसन सन फार्मास्युटिकल	22210	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
कारपोरेशन										
ग. आयोजना परिव्यय										
1. चिकित्सा ओर लोक स्वास्थ्य	22210	108.00	...	108.00	81.00	...	81.00	135.00	...	135.00
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	12.00	...	12.00	9.00	...	9.00	15.00	...	15.00
जोड़	120.00	...	120.00	90.00	...	90.00	150.00	...	150.00	

1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं : इसमें भारतीय औषध पद्धति और होम्योपैथी विभाग की सचिवालय सेवा के लिए व्यवस्था की गई है।

2. आयुर्वेद: इसके अंतर्गत (i) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, जो शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रोगी उपचार के लिए एक आदर्श संस्थान के रूप में कार्यरत है, (ii) आयुर्वेद और सिद्ध में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद और (iii) स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर, जो गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का एक घटक है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली को अनुरक्षण तथा विकास सहायता अनुदान आदि की व्यवस्था शामिल है।

3. होम्योपैथी : इसके अन्तर्गत होम्योपैथी में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकत्ता, जो एक स्वायत्त संगठन है, को अनुदान और होम्योपैथी फार्मसी लेबोरेट्री, गाजियाबाद, जो इस विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है, के लिए प्रावधान करने के अतिरिक्त होम्योपैथिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा बढ़ाने के लिए अनुदान की व्यवस्था भी शामिल है।

4. यूनानी : इसमें (i) यूनानी औषधियों में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद (ii) राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान, बंगलोर (अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं जन स्वास्थ्य की देखभाल का एक आदर्श संस्थान), जो सरकार द्वारा पूर्ण: वित्त पोषित स्वायत्त संगठन है, के लिए प्रावधान शामिल है।

5. योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा : इसमें केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे, और अन्य स्वायत्तशासी संगठनों के लिए अनुदान का प्रावधान है।

6. इस मांग में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ के लिए बनाई गई परियोजनाओं/योजनाओं हेतु वर्ष 2002-2003 के बजट अनुमानों में 15 करोड़ रुपए की एकमुश्त व्यवस्था को शामिल किया गया है।

7. अन्य : इसमें औषधीय पौधों, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की अभिनव योजनाओं की स्कीम अनुसंधान संस्थान के माध्यम से अतिरिक्त भित्ति अनुसंधान परियोजना, सूचना, शिक्षा तथा संचार, अन्तर्राष्ट्रीय अदान-प्रदान कार्यक्रम, पेटेंट सैल हेतु व्यवस्था है। इसके अलावा, इसमें पीएलआईएम, गाजियाबाद भी शामिल है जो भारतीय औषध पद्धति तथा होम्योपैथी व्यवस्था के उपयोग तथा स्वीकार्यता से संबंध विभाग तथा सर्वेक्षण के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालय है।

इसमें भारतीय औषध-पद्धति में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा अनुसंधान विभाग के उन्नयन, भारतीय औषध-पद्धति और होम्योपैथी यू.जी. कालेज का उन्नयन, भारतीय-पद्धति और होम्योपैथी विभाग में चिकित्सकों, शिक्षकों, टेक्निशियनों और अनुसंधानकर्ताओं का प्रशिक्षण तथा राज्य औषध जांच प्रयोगशालाओं/औषधालयों के लिए व्यवस्था है।

इसमें नवीन योजनाओं अर्थात् सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ क्लीनिक टीकेडीएल, औषधि परिषदों को आरम्भ करने, जिला अस्पतालों में आईएसएम विंग की स्थापना, होटलों में आयुर्वेदपार्क/पंचकर्म, आईएसएम एंड एच उद्योगों को प्रोत्साहन, विभिन्न राज्यों में ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी तथा होम्योपैथी औषधालयों के लिए आवश्यक औषधि, गुणवत्ता नियंत्रण आदि के लिए प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है।

8. सरकारी उद्यमों में निवेश: इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कारपोरेशन, रानीसेत की कुमाऊं मंडल विकास निगम (उ.प्र. सरकार का उपक्रम) के साथ संयुक्त भागीदारी है जो भारतीय तथा होम्योपैथी पद्धति की दवाएं सरकारी संस्थाओं आदि को तथा खुले बाजार में बिक्री हेतु आपूर्ति करता है।